

279514

जिल्द-संख्या वषं 20-15.....

किससे प्राप्त हुआ: सतीष कुमार सिंह

किस मदे ग्राम: अदिनी पो: इनापपुर

अनुमोदन: गादिनी, जिला- इलाहाबाद

07-रोटारि-इलाहाबाद-इलाहाबाद प्रांतीय प्राधिकरण

निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन से- 11/06/2015

की गड एमि- 10,000 200

नकद 10,000 200

स्टाम्प के रूप में /

कुल 10,000 200

दस हजार रुपये मात्र

(केवल रुपये पैसे)

तारीख 11/06/2015

प्राप्त करनेवाला अधिकारी।

नाजीम

जिला निर्वाचन अधिकारी
रोटारि

01

प्ररूप 2ड.
(नियम 4 देखिए)
नाम निर्देशन-पत्र

2.42 P.M
12.06.15

श्री हतास सिंह (राज्य) की विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से (राज्य) की विधान परिषद के लिए निर्वाचन

(भाग-1)

हम श्री हतास सिंह (राज्य) की विधान परिषद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्देशित करते हैं:- श्री हतास सिंह

अभ्यर्थी का नाम श्री हतास सिंह (पिता/पुत्रा/पुत्री का नाम) श्री हतास सिंह
उसका नाम श्री हतास सिंह उसका डाक पता श्री हतास सिंह, जिला-हरनाथपुर
सं० 61 में क्रम सं० 41/13 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम श्री हतास सिंह परिसद निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है प्रविष्ट है और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं:-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5
1.	13	41	पूजम देवी	पूजम देवी 12.6.15
2.	13	177	प्रदीप कुमार	श्री. प्रदीप कुमार सोनी 12.6
3.	15	20	आशुतोष कुमार	आशुतोष कुमार 12.6.15
4.	12	01	पूजम देवी	पूजम देवी 12.6.15
5.	15	22	पूजम देवी	पूजम देवी 12.6.15
6.	15	74	पूजम देवी	पूजम देवी 12.6.15
7.	30	15	पूजम देवी	पूजम देवी 12.6.15
8.	4	4	उमर रसूल	उमर रसूल 12.06.15
9.	4	22	शुनील कुमार सिंह	शुनील कुमार सिंह 12.06.15
10.	4	6	श्रीमा देवी	श्रीमा देवी 12.06.15

- प्रस्थापक निर्वाचन-क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिए।

मैं, उपरवर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि:-

(क) मैंने 42 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मैं इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ।

भारतीय जनता पार्टी

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम उपर दिनेश भाषा का नाम, में सही रूप से लिखा गया है, और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं श्रीदत्ताश सहाय परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दि. 12 (राज्य) की विधान परिषद् के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद् के विधमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 12.06.2015

श्रीदत्ताश सहाय
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

जो लागू न हो, उसे काट दें।

1. अधिसूचना सं० का० आ० 558 (अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2ड के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं० का० आ० 935 (अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतः स्थापित।

भाग-2
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को-

- (1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए :या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है, या

हाँ/नहीं

- (2) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिससे (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा:

- I. मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक न.ई. राज्य
- II. पुलिस थाना (थाने) हा.ई. जिला (जिले) न.ई. राज्य
- III. संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था न.ई. राज्य
- IV. दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) न.ई. राज्य
- V. वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था न.ई. राज्य
- VI. अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और / या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें न.ई. राज्य
- VII. कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) न.ई. राज्य
- VIII. क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीले) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे: हाँ/नहीं
- IX. फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां न.ई. राज्य
- X. उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीले) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे न.ई. राज्य
- XI. क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निमतारा हो गया है या वह/वे लंबित है न.ई. राज्य
- XII. यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निमतारा हो गया है, तो-
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) न.ई. राज्य
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) न.ई. राज्य

स्थान सादसारास

तारीख 12.06.15

सादसारास
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

भाग-3

रिटनिंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए

नाम निर्देशन पत्र की क्रम सं० 01

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 12.06.2015 तारीख को 2.42P.M
... बजे, अभ्यर्थी/प्रस्थापक श्रीतीर्थ कुमार सिंह नाम, द्वारा परित्त किया गया।
तारीख 12.06.2015

(Signature)
12.06.15

रिटनिंग ऑफिसर

निर्वाची पदाधिकारी

07-रोहतास-सह-कैमूर

स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र

भाग-4

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ।

तारीख 12.06.15

निर्वाची अधिकारिकारी

07-रोहतास-सह-कैमूर

स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र

भाग-5


WASH SCORE SASARAM
COURT FEE
Authorization No. 3508 A

00000
Rs. 0000100
12.6.2015
375310
INDIA
BIHAR
JUDICIAL
12.6.2015
648



SL No. 111 Date: 12.06.15
Time: 12:06
Solely affirmed and declared before me. Who is identified by [Signature] Advocate.

NOTARY
Bohtas, Sasaram
12.06.15
Govt. of Bihar
Reg. No. 862/03-1
Disti-Rohtas, Sasaram
Exp - 703 18



Sasaram (Rohtas) Bihar

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 07 शेहतास सदर कमर विधान (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क
मैं संतोष कुमार सिंह **पुत्र/पुत्री/पत्नी शमशेर सिंह
आयु 42 वर्ष जो ग्राम - बधिनौ वी. - हरनाथपुर
ब्ला. - मोहनिया, जिला - कमर (डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/कहती हूँ-

(1) मैं भारतीय जनता पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम मोहनिया बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 61 के क्रम से 413 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9934011562 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्योरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)



1.	स्वयं	CGZPS0858K	2014-15	2418334=
2.	पति या पत्नी	AVFPD2139P	2014-15	485960=
3.	आश्रित-1	मांगु नही	मांगु नही	मांगु नही
4.	आश्रित-2	मांगु नही	मांगु नही	मांगु नही
5.	आश्रित-3	नही	नही	नही

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) भरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	मांगु नही
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	मांगु नही
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मांगु नही
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	मांगु नही
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	मांगु नही
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक दी गई	मांगु नही



है/हैं	नाहीं
--------	-------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नाहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नाहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	नाहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नाहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नाहीं



(ग)	अधिरूपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	200000=	50000=	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	506908=	5000=	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा युनिटों	DM DEV COM TRUCTION 40375000=	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



में विनिधान के ब्यारे और रकम	Ramprasad 10832000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
------------------------------	-------------------------	------	------	------	------


(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	SUD Life 197000 = L.I.C 3571590 =	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	DR65A9653 2009 Year 5000 = DR45C2177 2011 Year 6200 DR45C1544 52500 =	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vii)	जवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	Gold 100 gm 100000 = Silver 500 gm 15000 =	Gold 200 gm 200000 = Silver 500 gm 30000 =	नहीं	नहीं	नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	25000 = 75000 =		नहीं	नहीं	नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	56547498 =	255000	नहीं	नहीं	नहीं

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया)	पति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	473				
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	15 एकड़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति	विरासत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं




(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याए)	वापसी गाँव	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्धान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	150000=				
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	10950000=				


(B) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यारों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आय-कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	धनकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सेवाकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विक्रयकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



वृत्ति या उपजीविका के ब्यारे :

(क) स्वयं..... कृषी

(ख) पति या पत्नी..... कृषी


(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

22 मई 2012 साईंस एंड एन० कॉलेज पटना
 मगध विश्वविद्यालय गया — 1989 वर्ष
 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)


भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं शैलेश कुमार सिंह			
2	डाक का पता	गांव - कादिनी पो. - हरनाथपुर थाना - मोहनिया जिला - कैमूर			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	204 मोहनिया अं० गां० बिहार			
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारतीय जनता पार्टी			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	नहीं			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से गिन)	नहीं			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	नहीं			
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी शैलेश कुमार सिंह	CGZPS085EK	2014-15	2418934=	
	(ख) पति या पत्नी रिना देवी	AVFPD2139P	2014-15	485960=	
	(ग) आश्रित	नहीं	नहीं	नहीं	
8	आस्तियाँ और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	56547498=	25800=	नहीं	नहीं



ख	स्थावर आस्तियां					
	i. स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	ii. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	iii. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	10950000=0				
9	दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	नहीं				
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	इंटरमीडियट साइंस एंड एन कॉलेज परना, मगध विश्वविद्यालय - गया				



(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन


मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वातम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

तारीख 12.06.2013 को सत्यापित किया गया।

संतोष कुमार शर्मा
अभिसाक्षी



Identify the Signature L.T.I./R.T.I.
of the witness Deponent which
been put in my presence.

ADVOCATE SASARAM

12-6-13
A.R. 1604

टिप्पण
चाहिए।

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना

टिप्पण

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण

4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण

5. माननीय सर्वाच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर

लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं..... 9936011562

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 क)

(07 रोहतास-सह-कैमूर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं संतोष कुमार सिंह जो विधान परिषद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूँगा।

संतोष कुमार सिंह,
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री / श्रीमती संतोष कुमार सिंह
(माह) 12.06 - 2015 को निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्थान
पर 11:30 A.M बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/
सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

07-रोहतास-सह-कैमूर
स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र
(प्राधिकृत/व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम पदनाम और मुहर)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 क)

(07 रोहतास-सह-कैमूर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं.....दाँतीप कुआड सिंघ..... जो विधान परिषद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूँगा।

(दाँतीप कुआड सिंघ)

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं स्पष्ट अक्षरों में नाम)